ग्राम पंचायत, धार टिक्करी, विकास खंड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-1

1 प्रस्तावना (क):-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, धार टिक्करी, विकास खंड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जयपाल सिंह	01.04.2014 से 22.01.2016
2.	श्री राजेन्दर सिंह	23.01.2016 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुरेन्दर सिंह	01.04.2014 से 29.08.2016
2.	श्री विरेन्द्र सिंह	30.08.2016 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, धार टिक्करी के लेखों का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा नं.	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	0.60
2	6	गृहकर की शेष वसूली	0.34
3	7	अनुदान का उपयोग न करना	17.99
4	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टोर/स्टॉक सामग्री	8.56

		का क्रय	
5	9	क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	5.50
6	10	जे.सी.बी चार्जिस का अनियमित भुगतान	1.24
7	11	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख प्रस्तुत न करना	----
8	12(ii)	बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशि से Online अधिक भुगतान	10.93
9	12(iii)	निर्माण सामग्री के क्रय पर स्वीकृत राशि के 40% से अधिक राशि खर्च कर अधिक भुगतान	0.86
10	12(iv)	स्वीकृत राशि से अधिक का खर्च कर राशि का अधिक भुगतान	0.05
11	13	सक्षम प्राधिकारी व तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना ही मस्टर रोल्स बिल्स का भुगतान	3.94

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत धार टिक्करी, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 12/09/17 से 19/09/2017 तक ग्राम पंचायत धार टिक्करी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है।

आय	व्यय
08/2014	12/2014
06/2015	06/2015
03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण /गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ,हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत धार टिक्करी, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है।

उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/पच्छाद/2017-18-8 दिनांक 19/09/2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धार टिक्करी से अनुरोध किया गया । तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत धार टिक्करी के पत्रांक संख्या: जी.पी. धार टिक्करी-33 दिनांक 13/10/2017 द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या:107538 दिनांक 13/10//2017 से अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत धार टिक्करी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत धार टिक्करी के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

(परिशिष्ट–1)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	---------	35423.00	35423.00	13202.00	22221.00
2015-16	22221.00	24324.00	46545.00	11049.00	35496.00
2016-17	35496.00	56490.80	91986.80	23168.00	68818.80

नोट :- ग्राम पंचायत धार टिक्करी द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्व: स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर **खाता-(क)** में रखे जाने का प्रावधान है। अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत धार टिक्करी के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट**- 2 व **3** में भी दिया गया है ।

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
2014-15	585365.24	4413482.00	4998847.24	4033456.00	965391.24
2015-16	965391.24	2728837.00	3694228.24	2768117.18	926111.06
2016-17	926111.06	1843179.00	2769290.06	970726.00	1798564.06

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.60 लाख का अन्तर:-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जिसके कारण निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में ₹6000 का अन्तर पाया गया। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे मे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	**विवरण**	**राशि (₹)**	**परिशिष्ट**
1.	स्व: स्त्रोत	**68818.80**	**1**
2.	अनुदान	**1798564.06**	**2**
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष	**1867382.86**	**4**
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	**1807382.86**	**5**
5.	**अन्तर (ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट पर)**	**60000.00**	**6**

विभिन्न बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा **(परिशिष्ट-5)**

क्रमांक	**अनुदान का नाम**	**बैंक का नाम**	**बचत खाता संख्या**	**31.03.2017**
1.(i)	सामान्य निधि	HPSCB, Sarahan	56610104103	1142859.86
(ii)	विकास कार्य	-------do------	56610104715	76818.00
(iii)	14th FC	-------do------	56610113192	321653.00
2.	BRGF	-------do------	56610105602	6686.00
3.	IAY	-------do------	56610104174	-------------
4.	PMAGY	-------do------	56610110846	136.00
5.	MGNREGA	-------do------	56610104681	-------------
6.	13th FC	-------do------	56610108687	33540.00
			विभिन्न बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा कुल राशि	1581692.86
			सामान्य निधि की रोकड़ बही अनुसार 31.03.17 को हस्तगत शेष	690.00
			निर्मल भारत अभियान पुरस्कार राशि की FDR No.40630308946	**225000.00**
			31.03.2017 को जमा कुल राशि	**1807382.86**

6 गृहकर के रूप में ₹0.34 लाख की शेष वसूली:-

ग्राम पंचायत धार टिक्करी के सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/धार टिक्करी/2017-18-2 दिनांक 12/09/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक:जी.पी.धार-टिक्करी-33 दिनांक 19/09/2017 द्वारा गृहकर के बारे में जो सूचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को गृहकर के रूप में ग्राम पंचायत, धार टिक्करी को **₹33,855** की वसूली शेष बताई गई जिसका ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है।

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2014-15	355	30/-	10650/-	9990/-	660/-
2015-16	370	50/-	18500/-	1815/-	16685/-
2016-17	382	50/-	19100/-	2590/-	16510/-
गृह कर की वसूली योग्य राशि			**48250/-**	**14395/-**	**33855/-**

क्योंकि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत धार टिक्करी द्वारा ग्रहकर की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एंवम वसूली रजिस्टर"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृह कर के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः उपरोक्त अनुसार दिनांक 1.4.14 से 31.3.17 तक गृहकर की **₹33855** वसूली योग्य शेष बनती है जिसकी वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जाए, साथ ही, पंचायत सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके तथा सम्बन्धित परिवारों से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाये तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में **मांग एंव वसूली रजिस्टर** का निर्माण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

7 अनुदान ₹17.99 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹17,98,564** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹8.56 लाख स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रयः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधिक है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा (Tender) आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड सदस्यों तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये तथा और नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही परिशिष्ट–7 के अनुसार ₹856223 **के** स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट–8** के अनुसार श्री सुभाष कुमार, डिंगर-किन्नर से मनरेगा के विभिन्न कार्यों हेतु दिनांक 18.02.2015 को एक ही दिन में ₹**5,50,370** की निर्माण सामग्री **(रेत व् बजरी)** की खरीद भी उपरोक्त ओपचारिक्ताओं को पूर्ण किये बिना ही की गई है जोकि उपरोक्त अनुसार अनियमित है जिसे सक्षम प्राधिकारी से कर्योतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शायी जाए।

9 ₹5.50 लाख की क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है । ग्राम पंचायत धार टिक्करी के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई **₹550370 की** विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गई थी, का ब्यौरा संलग्न (**परिशिष्ट**-8) में दिया गया है। स्टॉक प्रविष्टि के अभाव में उक्त खरीद की खपत की जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी और न ही सम्बंधित अभिलेख माप पुस्तिका इत्यादि को जांच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया गया।

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके तथा सम्बंधित माप पुस्तिका सहित

अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

10 जे.सी.बी चार्जिस का ₹1.24 लाख अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹1,23,750**. का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5)(a)व(b) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्थिति में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये का भुगतान तर्कसंगत व् उचित था नहीं कहा जा सकता। अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी द्वारा करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी ।

(क) आयकर 2%
(ख) सेल्स टैक्स 3%
(ग) प्रतिभूति राशि 10%
(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जे.सी.बी चार्जीस का ₹1,23,750 के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रमांक	फर्म/ठेकेदार का नाम	बिल संख्या /दिनांक	कार्य के घंटे	दर प्रति घंटा ₹	कुल भुगतान ₹
		अनुदान : सामान्य निधि			
1.	जगमोहन सिंह सरांहा	109/ 07/07/2014	33	750/-	24750/-
2.	-------do--------	192/ 08/06/2015	132	750/-	99000/-

कुल अदायगी 123750/-

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गए विकास कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिकाए अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई** जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर किए लाखों रूपये के व्यय की माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार जाँच नहीं की जा सकी। जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व् अधिकारिक अनुमोदन के अनुसार सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

12 मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) वितीय वर्ष 2015-16 व् 2016-17 की रोकड़ बही संधारित न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत सचिव द्वारा वितीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् व्यय की गयी राशी को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई **Online Financial Statements** (प्रति संलग्न) के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर वर्ष 2015-16 में **₹8,36,902** तथा वितीय वर्ष 2016-17 में **₹7,04,740**. का Online भुगतान किया गया है। उक्त प्राप्ति व् भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो उन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ उसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी। अतः उक्त अवधि की रोकड़ बही को संधारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये, तथा भविष्य में नियमानुसार अभिलेख को तैयार करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशि से वर्ष 2014-15 के दौरान ₹10,93,047 का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की वितीय वर्ष **2014-15** में मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान की राशी बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशी से

₹10,93,047 अधिक है। उक्त **Online** भुगतान की गई राशि तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशी में जो अन्तर है उस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त अधिक भुगतान की गई राशी को उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त अधिक भुगतान/अन्तर का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है।

वितीय वर्ष	**रोकड़ बही के अनुसार ऑन लाइन किया गया भुगतान**	**फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार ऑन लाइन किया गया भुगतान**	**अधिक भुगतान (अन्तर)**
1	2	3	4{3-2}
2014-15	19,77,783/-	30,70,830/-	10,93,047/-
		कुल अन्तर	**10,93,047/-**

नोट: - वास्तविक वाउचरों तथा **Online** किए भुगतानों का मिलान करना सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के दोहरे भुगतान (double payment) की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) निर्माण सामग्री के क्रय पर कार्य के लिए स्वीकृत राशि के 40% से अधिक राशि खर्च कर ₹86454 का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मनरेगा योजना के दिशा निर्देशों के विपरीत निर्माण सामग्री की खरीद पर निर्धारित 40% की सीमा से अधिक राशि खर्च कर निम्नतालिकानुसार **₹86454** का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा नियमों के विपरीत निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय/भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तथा पंचायत स्तर पर प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री की नियमानुसार जांच की जाए।

(परिशिष्ट–9)

इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य डगा आंगनबाड़ी, कोट हेतु स्वीकृति पत्र पृष्ठांकन संख्या:1161-63 दिनांक 03/03/2014 के क्रम संख्या:15 के अनुसार ₹1,50,000 स्वीकृत थे जबकि विकास कार्य सूची (मनरेगा) दिनांक 31.03.2016 के क्रम संख्या 33 (प्रति **परिशिष्ट-10** पर संलग्न) के अनुसार उक्त कार्य पर ₹1,77,024 का व्यय दर्शाया गया है जोकि कुल स्वीकृत राशि से ₹27,024. अधिक है जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा विभागीय स्तर पर ऐसे मामलों की जाँच कर अधिक व्यय की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृति को रोका जा सके।

विकास कार्य का नाम	**स्वीकृत**	**कुल व्यय**	**मजदूरी पर**	**निर्माण**	**निर्माण**	**निर्माण सामग्री**

	राशि	की गई राशि	कुल खर्च/ भुगतान	सामग्री के क्रय पर कुल खर्च/भुगतान	सामग्री पर 40% अनुमेय (permissible) राशि	के क्रय पर स्वीकृत राशि के 40% से अधिक का भुगतान
निर्माण डगा वेटनरी कोट	150000	148624	71764	76860	47843	29037
निर्माण डगा आंगनबाड़ी कोट	150000	177024	71764	105260	47843	57417
	कुल अधिक भुगतान					**86454**

(iv) स्वीकृत राशि से अधिक का खर्च कर ₹4,505 का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि **(परिशिष्ट-9 पर संलग्न)** से अधिक राशि खर्च कर निम्नतालिकानुसार **₹4,505** का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तथा साथ ही इस प्रकार के अन्य मामलों की विभागीय स्तर पर जाँच कर उनकी वसूली करना भी सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृति को रोका जा सके।

विकास कार्य का नाम	**स्वीकृत राशि**	**कुल व्यय**	**अधिक व्यय**
भूमी सुधार महेश कुमार सिक्कन	100000/-	103033/-	3033/-
भूमी सुधार सुन्दर सिंह ढाडिक	100000/-	101472/-	1472/-
	स्वीकृत राशि से अधिक व्यय		**4505/-**

13 **सक्षम प्राधिकारी व तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना ₹3.95 लाख के मस्टर रोल्स की राशि का भुगतान:-**

(i) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया की मस्टर रोल्स द्वारा किये गये **₹3,94,700 (परिशिष्ट-11)** के भुगतान को **सक्षम तकनीकी प्राधिकारी** द्वारा **सत्यापित नहीं किया गया था और न ही इन पर करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई** जिसकी अनुपस्थिति में उक्त मस्टर-रोल्स द्वारा किये गये भुगतान सही थे अथवा नहीं, तथा भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनका आकलन व मुल्यांकन कर लिया गया था इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त मस्टर-रोल्स पर करवाए गए कार्यो का मुल्यांकन कर, यदि किया गया भुगतान मुल्यांकन से अदिक पाया जाता है की उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा किया जाए तथा भविष्य में मस्टर-रोल्स की अदायगी से पूर्व उन्हें सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित/मूल्यांकित करने तथा सतर्कतता समितियों द्वारा कार्य के सही एवं पूर्ण होने बारे सत्यापित करने के उपरान्त ही उनकी राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान सम्बंधित माप पुस्तिकाएं अनुमान पत्रों सहित प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

इसके अतिरिक्त उक्त मस्टर-रोल्स को न तो बिल रजिस्टर में दर्ज किया गया था, और न ही भुगतान करने से पूर्व इन में से **अधिकतर को पंचायत प्रधान और सचिव के** द्वारा **सत्यापित व पारित** किया गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 व 49 की अवहेलना है। अतः इन अनियमितताओं के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

14 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया की **वर्ष 2014-15 व् 2015-16 का वार्षिक बजट तैयार करके ग्राम सभा से पारित नहीं करवाया** गया था। अतः उक्त अवधि में पंचायत निधि से बिना बजट प्रावधान को पूर्व अनुमोदित करवाए किया गया व्यय अनियमित है । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उपरोक्त अवधि में किये गए व्यय को नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

15 रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जाना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बही केवल नाम की रोकड़ बही है जबकि इसका संधारण रोजनामचे की तरह किया जा रहा है अर्थात इसमें ना तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विशवसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसी प्रकार खाता बही में भी न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें विशवसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

16 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों /कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका आदि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि तथा सरकार से प्राप्त अनुदान से किया गया है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान उक्त भुगतान से सम्बन्धित **मानदेय रजिस्टर** प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त भुगतान का वास्तविक देय राशि से अधिक

भुगतान हो जाने पर नियन्त्रण नहीं रह जाता क्योंकि मानदेय के भुगतान हेतु प्राप्त अनुदान तथा तदानुसार उसका सम्बन्धित व्यक्ति को भुगतान का रख-रखाव सामान्य निधि खाते में ही किया जा रहा है, जहाँ से इसका अधिक भुगतान हो जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में मानदेय का दर्शाया गया भुगतान सही था भी या नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक मिलान सारणी
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5. अग्रिमों का रजिस्टर
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9. स्टेशनरी रजिस्टर
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर
11. मस्टर रोल्स जारी रजिस्टर
12. इन्वेंटरी रजिस्टर

18 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

19 लघु आपत्ति विवरणिका :-

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित न किया गया हो । अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

20 निष्कर्षः- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)14/2018 खण्ड–1–1755–1758 दिनांक 9.3.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत धार टिक्करी, विकास खण्ड पच्छाद, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009